न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

क्रमांक :– रीडर / 2024 / 598   दिनांक :– 08/08/2024

प्रेषिति :– तहसीलदार (भू.अ.)
टिब्बी।

विषय :–प्रकरण संख्या 004 / 2023 छोटूराम बनाम् गुड्डीदेवी आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. मे पारित निर्णय दिनांक .... 08.08.2024 की पालना करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थी छोटूराम पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करनें पर प्रकरण में दिनांक 08.08.2024 ....को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 व बुधराम की कृषि भूमि चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.–बी पत्थर नम्बर 201 / 253(42) किला नम्बर 2 ता 5 की उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर **नवनिर्मित कमरे को छोड़ते हुए कमरे के आगे से** प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत कर रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को प्रार्थी छोटूराम के हिस्सा में से चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.–बी पत्थर नम्बर 201 / 253(42) किला नम्बर 1 में से रास्ते की भूमि छोडकर उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर रास्ते की निशानदेही दी जाकर रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:37:47 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner